डीजी परिपत्र संख्या- 7 /2012

जावेद,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश,
1-सी0एन तिवारी मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः जनवरी 29, 2012

प्रिय महोदय,

महिलाओं के प्रति होने वाले समस्त अपराधों से उन्हे सुरक्षा प्रदान करने एवं ऐसी घटनाओं की रोकथाम एवं तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश पार्श्वांकित परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर दिये गये है, परन्तु कहीं-कहीं पर उनका सम्यक् एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के कारण विभाग के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है और छवि पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है।

डीजी-43/06 दिनांक-10-01-06
डीपी-एस-6-54(1)/05 दिनांक-12-06-07
डीजी-29/07 दिनांक-30-06-07
डीपी-48/07 दिनांक-12-07-07
डीजी-05/07 दिनांक-23-06-07
डीपी-45/08 दिनांक-15-04-08
डीजी-1/2010 दिनांक-22-01-2010
डीजी-36/2010 दिनांक-15-11-2010

2. अभी कुछ समय पूर्व जनपद लखनऊ में शादी समारोह में सम्मिलित होने आई बालिका के साथ दुराचारियों द्वारा बलात्कार के उपरान्त हत्या कर देने की घटना घटित की गई है, जिसमें किशोरी की गुमशुदगी की शिकायत पर स्थानीय पुलिस द्वारा सम्यक् एवं त्वरित गति से कार्यवाही न करने की बात प्रकाश में आई है।

3. अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों एवं उनके उत्पीड़न की रोकथाम हेतु अपने-अपने जनपदों के विशिष्टता एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे उत्पीड़न को रोकने हेतु प्रभावी कार्ययोजना विकसित कर कार्यवाही करायेंगे। जिस निमित्त मार्गदर्शक बिन्दु निम्नवत् है:-

(1) धार्मिक एवं सामाजिक समारोह के अवसरों पर स्थानीय पुलिस द्वारा समारोह स्थल के आस-पास पैट्रोलिंग किये जाने तथा आयोजकों से मिलकर उन्हे ऐसे दिशा-निर्देश दिये जायें, जिससे नाबालिग बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों पर निगाह रखें ताकि कोई अवांछनीय तत्व बच्चों को बहला-फुसला कर समारोह स्थल से बाहर न ले जा सके।

(2) महिला स्कूलों/कालेजों/भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे-सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, कोचिंग सेन्टर, महत्वपूर्ण बाजारों पर मोबाइल ड्यूटी लगाई जाए।

(3) महिला के उत्पीड़न की रोकथाम हेतु बनाए गए कानून के सम्बन्ध में पुलिसकर्मियों को समय-समय पर जानकारी दी जाए तथा इस विषय पर प्रशिक्षण के माध्यम से संवेदनशील किया जाए।

(4) महिलाओं द्वारा दिये गए प्रार्थना-पत्रों पर जांच तत्परता से कराकर आवश्यकतानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।

(5) महिला स्कूलों के खुलने एवं बन्द होने के समय सादे कपड़ों में महिला एवं पुरूष आरक्षियों की ड्यूटी लगाई जाए, जिससे छेड़खानी आदि करने वाले तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही हो सके।

(6) प्रत्येक जनपद में गठित महिला सहायता प्रकोष्ठ तथा थानों पर गठित विशेष डेस्क में संवेदनशील व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए। इनके कार्यों की नियमित समीक्षा राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जाए।

(7) महिला हेल्प लाइन एवं महिला थानों के दूरभाष के नम्बर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किये जाएं।

(8) स्कूल/कालेजों की छात्राओं अथवा अन्य टारगेट ग्रुप को पुलिस एवं विधिक सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में व्यवहारिक जानकारी दी जाए।

मैं चाहूंगा कि आप सभी इस सम्बन्ध में अपने जनपदों में अत्यन्त संवेदनशीलता के साथ विधि के अनुसार त्वरित कार्यवाही कराएं।

भवदीय,

29.1.

(अतुल)

समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उ0प्र0।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।